संख्या:148/2026/1020/001/आठ-1-2026/1755460

प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव**,**
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण**,**
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 31 अगस्त**, **2026**

विषयः-लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत जियामऊ के खसरा संख्या-**93 (**अंश भाग) पर अल्प आय वर्ग के **72** आवासों के वाह्य विकास कार्य सम्बंधी परियोजना की अवशेष धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2026-27) के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-437/वी0सी0/एए-6/26, दिनांक 12.08.2026 एवं शासनादेश संख्या-91/2024/1040/001-473/2024, दिनांक 28.11.2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत जियामऊ के खसरा संख्या-**93 (**अंश भाग) पर अल्प आय वर्ग के **72** आवासों के वाह्य विकास कार्य सम्बंधी परियोजना की कुल मूल्यांकित लागत धनराशि रू0 171.73 लाख के क्रम में परियोजना की समापन धनराशि रू0 161.30 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 75.43 लाख (रू0 पचहत्तर लाख तैतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में आहरित कर व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का अभिप्राय है कि डिटेल्ड स्टीमेट, ड्राइंग, डिजाइन, गणनायें, कार्य की मात्रा, कार्य की दर सूची/दर विश्लेषण की दरें एवं लागत को सक्षम स्तर से स्वीकृत कराया जायेगा। रिटेनिंग वॉल की स्ट्रक्चरल डिजाइन किसी राजकीय प्रोद्योगिकी संस्थान से वैट कराके सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(3) प्राक्कलन में ली गयी दरों/बाजार दरों को आधार नहीं माना जायेगा। नियमानुसार ई-निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक दरें, प्राप्त करते हुए, दरों, मात्रायें एवं विशिष्टियों का निर्धारण करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी संस्था लखनऊ विकास प्राधिकरण का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/लखनऊ विकास प्राधिकरण का होगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/लखनऊ विकास प्राधिकरण की होगी तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(7) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जाएगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.**01**.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11.09.2014 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(12) लखनऊ विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि में प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(14) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाए।

(15) प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(16) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। कार्य प्रारम्भ

http://shasanadesh.up.nic.in

कराने से पूर्व सम्बंधित विभागों से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरांत निर्विवादित भूमि पर कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(17) कार्यदायी संस्था द्वारा गैर वन भूमि/कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी से पातन की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(18) कार्यदायी संस्था/लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य न्यूनतम आवश्यकता/वास्तविकता के आधार पर सम्बंधित विभागों से एन0ओ0सी0 प्राप्त कर नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(20) कार्यदायी संस्था/लखनऊ विकास प्राधिकरण को सेन्टेज देय नहीं होगा।

(21) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जाएगी।

(22) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण होगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-02 के "लेखा शीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापनाओं सुविधाओं का विकास (चालू कार्य) मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेश कुमार राय)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-148/2026/1020(1)/001/आठ-1-2026/1755460 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति सहित।
2. महालेखाकार (परीक्षा-लेखा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति सहित।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ०प्र० शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।
11. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की उक्त धनराशि को अंतरित करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता संख्या एवं आई०एफ०एस०सी० कोड आदि की सूचना ईमेल आई०डी **ddoawash@gmail.com** पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन को तत्काल उपलब्ध कराये ।
12. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र मिश्र)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in